न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

:: आदेश ::

क्रमांकः–11 /अ–59/2017–18/ 11664 बैतूल दिनांक 30/10/2017

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, पटवारी हल्का नंबर 58 रा. नि. मं. घोड़ाडोंगरी तहसील घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल द्वारा तहसीलदार घोड़ाडोंगरी के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि, ग्राम पाझर तहसील घोड़ाडोंगरी स्थित खसरा नंबर 27 रकबा 0.093 हेक्टेयर भूमि मद घॉस में नंदरू पिता जिराती जाति गोण्ड द्वारा मकान बनाकर निवास किया जा रहा है। उक्त खसरा नंबर के पूर्ण रकबे को आबादी घोषित किए जाने हेतु ग्राम सभा पाझर द्वारा दिनांक 17–8–2017 को प्रस्ताव पारित किया गया है।

2– हल्का पटवारी के उक्त प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार घोड़ाडोंगरी द्वारा मद परिवर्तन के लिए विधिवत् प्रकरण दर्ज करके आगामी कार्यवाही करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार हैः–

(1)– मौजा पाझर तहसील घोड़ाडोंगरी स्थित खसरा नंबर 27 रकबा 0.093 हेक्टेयर भूमि नोईयत परिवर्तन कर आबादी घोषित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्‌घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)– दिनांक 17–8–2017 को ग्राम पाझर में आयोजित ग्राम सभा में, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जाकर मौजा पाझर स्थित खसरा नंबर 27 रकबा 0.093 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने का निर्णय लिया गया है।

(3)– वर्तमान राजस्व अभिलेख खसरा के अनुसार मौजा पाझर स्थित खसरा नंबर 27 रकबा 0.093 हेक्टेयर चरनोई मद में दर्ज है। अधिकार अभिलेख वर्ष 1968–69 के अनुसार खसरा नंबर घॉस मद में दर्ज है।

(4)– ग्राम पाझर का मकबूजा रकबा 96.669 हेक्टेयर है, तथा ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा 12.808 हेक्टैयर है। ग्राम के मकबूजा रकबा के 2 प्रतिशत के मान से चरनोई का रक्षित रकबा 1.934 हेक्टेयर उपलब्ध रहना अनिवार्य है। किन्तु वर्तमान में ग्राम में चरनोई का रकबा 12.808 हेक्टेयर उपलब्ध है। प्रस्तावित भूमि का मद परिवर्तन किए जाने के उपरांत भी ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा न्यूनतम आरक्षित रकबे से कम नहीं होगा।

(5)– तहसीलदार शाहपुर/अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर द्वारा मौजा सिलपटी स्थित खसरा नंबर 125 रकबा 0.700 हेक्टेयर में से 0.010 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 359 रकबा 0. 299 हेक्टेयर में से 0.150 हेक्टेयर को आबादी घोषित करने की अनुशंसा की गई है।

3– मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–237 (3) के अनुसार चारागाह, घॉस, बीड़ या चारे के लिए आरक्षित की भूमि को उस ग्राम की कुल कृषिक भूमि के न्यूनतम दो प्रतिशत तक सुरक्षित रखने के पश्चात् दखल रहित भूमि को आबादी, सड़को, राजमार्गो, नहरो, तालाबो, अस्पतालो, विद्यालयो, महाविद्यालयो, गौशालाओ, के निर्माण या राज्य शासन द्वारा अन्य किसी जन उपयोगी परियोजनाओ के लिए व्यवपर्तित किया जा सकता है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक– कमांक 1/2011/अधी./10842, दिनांक 8–11–2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांकः– 2489 दिनांक 25–2–2017 द्वारा मध्यपदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल (म.प्र.)

4— अतएव उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति एवं तहसीलदार घोड़ाडोंगरी / अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, मौजा पाझर तहसील घोड़ाडोंगरी स्थित चरनोई मद की भूमि खसरा नंबर 27 रकबा 0.093 हेक्टेयर भूमि को इस शर्त के अधीन आबादी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि का विधिवत् अभिन्यास स्वीकृत किया जाकर, नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियो को आवासीय पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।

(मूलचन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला—बैतूल.

पृ0क्र0— 11 / अ—59 / 2017—18 / 11664 बैतूल दिनांक 30 / 10 / 2017

प्रतिलिपिः—

1— अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर।

2— तहसीलदार घोड़ाडोंगरी ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।

3— जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

4— जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

5— सचिव ग्राम पंचायत चिखली आमढ़ाना जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला—बैतूल.

31/10/2017